प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 14.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 डण्डा व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 HR-55AN-1656 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2024 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शांतनु पुत्र ओमपाल, 2. विशु पुत्र सहदेव, 3.शुभम पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पुत्र सनी की हत्या कर दी तथा साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के पास फेंक दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है,

जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 डण्डा व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 HR-55AN-1656 बरामद बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी मृतक सनी से दीपावली वाले दिन कहासुनी व गाली-गलौच हो गयी थी, जिसका बदला लेने के लिए मैं, शान्तनु व शुभम के साथ मृतक सनी को शराब पीने के बहाने अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से कन्डेरा गाँव को जाने वाले रोड पर लेकर गया था। रास्ते में ट्यूबवैल के पास शराब पी तथा गाडी की डिग्गी से डन्डे निकाल कर हमने सन्नी के सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उसके बाद हम सनी की लाश को इसी गाडी में रखकर साक्ष्य मिटाने की नियत से नव निर्मित दिल्ली देहरादून हाईवे पर फैंक कर गाँव आ गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

विशु पुत्र सहदेव निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 डण्डा।
- घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 HR-55AN-1656

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
6-का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत   दिनाँक 14.11.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ विडियो वायरल करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 26 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर 04 व्यक्तियों का तमंचे तथा कारतूसों के साथ विडियो वायरल हुआ था, जिसका थाना बडौत पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्तियों को चिन्हित किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए विडियो के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 26 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रितिक पुत्र सुंदर सिंह निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2-अर्जुन पुत्र राकेश निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
3-मोनू पुत्र पप्पन निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
4-सचिन पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।
- 26 कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बड़ौत।
2-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बड़ौत।
3-उ0नि0 यूटी श्री बिरजू शर्मा थाना बड़ौत।
4-है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बड़ौत।
5-का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत।
6-का0 985 विपुल गर्ग थाना बड़ौत।
7-एचजी 275 वीरपाल थाना बड़ौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 14.11.2024**

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से जनपद पानीपत हरियाणा से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो डीलक्स नं0 HR-06AF-8370 बरामद।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जनपद पानीपत हरियाणा से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो डीलक्स नं0 HR-06AF-8370 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शादाब पुत्र नौशाद निवासी मौहल्ला रायजदगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- **चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो डीलक्स नं0 HR-06AF-8370 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 123/23 धारा 379 भादवि थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 924 विशाल वासुदेव थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 801 भूपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत।